

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- जो.वि.प्रा./

दिनांक

कार्यालय आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में रनिंग बिलो में से काटी जा रही धरोहर राशि वापिस करने से प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं उनमें प्रायः यह पाया जाता है कि धरोहर राशि वापिस लौटाने के आवेदन पत्रों की पूर्ति पूर्ण रूपेण नहीं की जाती है। अनुबन्ध की धारा 37 में स्पष्ट प्रावधान है कि भवन निर्माण कार्य /क्रोस ड्रेनेज/वाटर स्पलाई/सीवरेज योजना की धरोहर राशि 6 माह बाद (कार्य समाप्ति तिथि से) या 1 पूर्व वर्ष ऋतु व्यतीत हो जाने के पश्चात् या डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि पूरा होने के पश्चात् जो भी बाद में हो धरोहर राशि लौटाई जावे। सम्बंधित अभियन्ता वर्ष ऋतु पश्चात् कार्य का निरीक्षण करने के पश्चात् धरोहर राशि लौटाने की अनुशांषा कर सकते हैं। प्रपत्र में निर्धारित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है। धरोहर राशि लौटाने से पूर्व रोकड़-बुक/धरोहर पंजिका में भी धरोहर राशि लौटाने का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना न रहे। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अतः समस्त अभियन्ताओं/कनिष्ठ लेखाकारों को निदेशित किया जाता है कि अनुबन्ध की धारा 37 का पूर्णरूपेण से पालना की जाए।

(गौरव गोयल)

आई.ए.एस.

आयुक्त

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

दिनांक :- 6/4/2009

क्रमांक :- जो.वि.प्रा./ 503 से 540

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. श्री, सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री, कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. श्री प्रदीप माथुर, श्री बुधाराम चौधरी, श्री सुनिल जैन, कनिष्ठ लेखाकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

(गौरव गोयल)

आई.ए.एस.

आयुक्त

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर